माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 746/ /प्रशा0/MSU/2024–25 दिनांक : 8/8/24

कार्यालय ज्ञाप

एतत्द्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1902/सत्तर–3–2024, दिनांक : 02 अगस्त, 2024 एवं प्रमुख सचिव, संस्कृति अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– 294/2024/2273/चार–2024, दिनांक : 07 अगस्त, 2024 के माध्यम से "हर घर तिरंगा" अभियान का कार्यक्रम का आयोजन दिनांक : 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य सम्पूर्ण देश में किया जा रहा है। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करते हुये स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है। अतः समस्त प्राचार्य/प्राचार्या एवं अध्ययनरत् समस्त छात्र/छात्रा को निर्देशित किया जाता है कि "हर घर तिरंगा" अभियान में बढ़–चढ़कर प्रतिभाग करते हुये अपने आसपास भी नागरिकों को प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करें तथा संलग्न पत्र में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुपाल में "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम के अन्तर्गत सेल्फी/रील्स/वीडियों/झण्डे के साथ फोटो अथवा देशभक्ति/झण्डागीत के साथ वीडियों अभियान से जुड़ी वेबसाइट harghartiranga.com पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक – यथोपरि।

कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
02. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
04. प्राचार्य/प्राचार्या समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय।
05. सम्पादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र के सभी संस्करणों में विशेष स्थान देते हुए जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
06. परीक्षा नियंत्रक।
07. वित्त अधिकारी।
08. उपकुलसचिव।
09. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

कुलसचिव

महत्वपूर्ण

संख्या-1902/सत्तर-3-2024

प्रेषक,

शिपू गिरि,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
   उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
   प्रयागराज।
2. **कुलसचिव,**
   समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
   उ0प्र0।
3. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी**, उ0प्र0।
4. **विशेषकार्याधिकारी तथा जनसम्पर्क अधिकारी,**
   राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठक, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 02 अगस्त, 2024

विषयः स्वतंत्रता दिवस-2024 के अवसर पर "हर घर तिरंगा" अभियान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-278/2024/2162/चार-2024, दिनांक 31, जुलाई, 2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह अवगत कराते हुए कि प्रदेश में हर घर तिरंगा' अभियान 2022 व 2023 की भांति स्वतंत्रता दिवस-2024 के अवसर पर उक्त कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य सम्पूर्ण देश में किया जा रहा है। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है।

2- इस सम्बन्ध में विभाग के समस्त सरकारी कार्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यापक जनसहभागिता से "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है :-

(1) विगत वर्ष की भांति 'हर घर तिरंगा' अभियान हेतु झण्डों की अतिरिक्त आवश्यकता की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा दो करोड़ झण्डों का उत्पादन करके की जायेगी, जिसका भुगतान पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा एवं शहरी क्षेत्रों में झण्डों की आपूर्ति हेतु 50 लाख झण्डों का उत्पादन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से किया जायेगा, जिसका भुगतान नगर विकास विभाग द्वारा किया जायेगा।

(2) समस्त जनपदों में जिलाधिकारियों द्वारा झण्डा उत्पादन इकाईयों जैसे एन०जी०ओ०, लघु उद्योगों, खादी एवं ग्रामोद्योग, निजी सिलाई केन्द्र एवं अन्य उत्पादनकर्ताओं को सक्रिय करते हुए झण्डों का उत्पादन किया जाए।

(3) राज्य हथकरघा निगम के पास उपलब्ध झण्डों की आपूर्ति नगर विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में की जाए।

(4) जेम पोर्टल/ऑन लाइन शापिंग पोर्टल पर उपलब्ध झण्डों के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए आमजनमानस को प्रेरित किया जाए। राशन की दुकानों/पेट्रोल पम्पों/घरेलू गैस विक्रय केन्द्रों/ग्राम पंचायत भवनों/ तहसील/विकास खण्ड कार्यालयों/आँगनबाड़ी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों आदि में झण्डों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

(5) दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक आमजनमानस को अपने-अपने घरों, कार्यालयों वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों। औद्योगिक प्रतिष्ठानों/शैक्षणिक प्रतिष्ठानों/आँगनबाड़ी केन्द्रों/अस्पतालों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में एफ०एम०/रेडियो चैनल/स्थानीय केबिल नेटवर्क/प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया/ टोल प्लाजा/बस स्टेशनों/मेट्रो स्टेशनों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर झण्डा फहराने हेतु प्रेरित किया जाए।

(6) समस्त सरकारी कार्यालय/शिक्षण संस्थान खादी से निर्मित ध्वज का ही आरोहण करेंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा खादी से निर्मित ध्वजों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

(7) समस्त विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय समितियों के साथ बैठक कर तिरंगा अपने प्रतिष्ठानों में सी०एस०आर० संसाधनों के माध्यम से क्रय कर फहराये जाए।

(8) मा० जनप्रतिनिधिगण के साथ भी पृथक से बैठक कर उन्हें कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दे दी जाये।

(9) गृह विभाग सुनिश्चित करे कि पुलिस विभाग के पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्रियाशील रहे। दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य झण्डा गीत, राष्ट्रीय गीतों के साथ ही साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में सूचनाओं का प्रसारण होता रहे। दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य गृह विभाग द्वारा शहीद स्मारकों पर राष्ट्रधुन के साथ पुलिस/पी०ए०सी० बैण्ड का वादन किया जाए।

(10) दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक समस्त सरकारी भवनों पर तिरंगा लाइटिंग करायी जाए।

(11) नगर विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े समस्त स्थलों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए एवं साइनेज भी लगवाये जाए।

(12) समस्त शिक्षण संस्थाओं में हर घर तिरंगा से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उक्त आयोजन के संबंध में शासन से निर्गत आदेशों का प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(13) सेल्फी/रील्स/वीडियो/झण्डे के साथ फोटो अथवा देशभक्ति/ झण्डागीत के साथ वीडियो अभियान से जुड़ी वेबसाइट harghartiranga.com पर अपलोड करने हेतु आमजनमानस को प्रेरित किया जाए।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

(शिपू गिरि)

विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
3- कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(एस0पी0 मिश्र)

उप सचिव।

संख्या- 294 /2024/ 2273 /चार-2024

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 07 अगस्त, 2024

विषयः स्वतंत्रता दिवस - 2024 के अवसर पर 'हर घर तिरंगा अभियान' के संबंध में ।

महोदय,

विदित है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक 'हर घर तिरंगा कार्यक्रम' आयोजित किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-278/2024/2162/चार-2024, दिनांक 31 जुलाई, 2024 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. उक्त के क्रम में भारत सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों के अनुरूप 'हर घर तिरंगा अभियान' के अन्तर्गत निम्नवत् कार्यक्रम प्रमुखता से आयोजित किये जायें:-

1. **तिरंगा यात्राएँ**
   - तिरंगा यात्राएँ हर घर तिरंगा आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा हैं।
   - राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना लाते हुए, राष्ट्रीय ध्वज का जश्न मनाने और उसका सम्मान करने के लिए सभी आयुवर्ग के नागरिक यात्रा में शामिल हो सकते हैं।
   - जिला स्तरीय तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी।
2. **तिरंगा रैली**
   - स्थानीय स्तर पर तिरंगे की भावना को समर्पित बाइक, साइकिल और कार रैलियां आयोजित की जाएंगी।
   - विभिन्न समूहों, युवा स्वयंसेवकों, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों और अन्य लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाये।
3. **तिरंगा दौड़ और मैराथन**
   - स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा की भावना को समर्पित दौड़ और मैराथन आयोजित की जाएंगीए जिसमें राष्ट्रीय ध्वज के मूल्यों का जश्न मनाया जाएगा।
   - सभी क्षेत्रों के लोगों को इसमें शामिल होने और उस ध्वज का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।
   - खेल और फिटनेस व्लॉगर्स को भाग लेने और व्लॉग बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
   - बड़ी दौड़/ मैराथन इवेंट का आयोजन।
4. **तिरंगा संगीत कार्यक्रम**

   देशभक्ति पूर्ण संगीत कार्यक्रम का आयोजन
   - इन कार्यक्रमों में संस्कृति मंत्रालय का तिरंगा गान भी बजाया जाएगा।
   - इन कार्यक्रमों का उद्देश्य उत्सवी माहौल बनाना और संगीत के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय गौरव का जश्न मनाना है।
   - संगीत कार्यक्रम के साथ एक बड़ा कार्यक्रम।
   - तिरंगा गान हर घर तिरंगा वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. **तिरंगा कैनवास**

- आयोजन स्थलों पर तिरंगा कैनवास लगाए जाएंगेए जहां लोग किसी भी भारतीय भाषा में श्हर घर तिरंगाश् या श्जय हिंदश् लिख सकेंगे।
- प्रत्येक कैनवास को राष्ट्रीय ध्वज ;3रू2द्ध के समान अनुपात में डिज़ाइन किया गया है।
- तिरंगा कैनवास के लिए संदर्भ डिज़ाइन टेम्पलेट हर घर तिरंगा वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा।

6. **तिरंगा प्रतिज्ञा**

- तिरंगा प्रतिज्ञा सभी कार्यक्रमों का हिस्सा होगीए जो लोगों को झंडे के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- पिछले अभियानों से शिलाफलकम के पास सामूहिक सफाई और प्रतिज्ञा लेने की गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगीए जिससे तिरंगे की भावना को बल मिलेगा।
- तिरंगा प्रतिज्ञा हर घर तिरंगा वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी।

7. **तिरंगा सेल्फ़ी**

- प्रतिभागियों को झंडा फहराने और तिरंगे के साथ सेल्फी लेने और उन्हें हर घर तिरंगा वेबसाइट (harghartiranga.com) पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।
- प्रमाण पत्र #HarGharTiranga और #HGT2024 के साथ सोशल मीडिया पर साझा किए जा सकते हैं।

8. **तिरंगा कृतज्ञता**

- कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से स्थानीय कार्यक्रमों में वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके परिवारों को याद किया जाएगाए सम्मानित किया जाएगा और उनका अभिनंदन किया जाएगा।

3. विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की सूचना संलग्न प्रारूप पर https://culturalevents.in पर अपलोड की जाये।

4. काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के शुभारम्भ के अवसर पर दिनांक 09 अगस्त, 2024 को शैक्षणिक संस्थानों, शहीद स्मारकों/स्थलों, अमृत सरोवरों, अमृत वाटिकाओं आदि स्थलों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में पढ़कर सुनाये जाने वाले काकोरी ट्रेन एक्शन के वृतान्त का संलग्न संक्षिप्त आलेख वितरित/ प्रसारित कराया जाये।

5. विभिन्न जनपदों में आयोजित होने वाले उपरोक्त कार्यक्रमों में मा0 केन्द्रीय मंत्रीगण, मा0 मंत्रीगण, जनपद के वरिष्ठ मा0 जनप्रतिनिधिगण को आमंत्रित किया जाये।

6. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपरोक्तानुसार आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0।
4. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
रवीन्द्र कुमार-।
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

महत्वपूर्ण

संख्या- 278 /2024/ 2162 /चार-2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांकः 31 जुलाई, 2024

विषयः-स्वतंत्रता दिवस-2024 के अवसर पर 'हर घर तिरंगा' अभियान के सम्बन्ध में।

महोदय,

आजादी का अमृत महोत्सव' के अन्तर्गत प्रदेश में **'हर घर तिरंगा'** अभियान 2022 व 2023 का भव्यपूर्ण सफल क्रियान्वयन किया गया। प्रदेश के समस्त विभागों ने इन अभियानों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। विगत वर्षों में 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में समस्त आवासित घरों, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों एवं समस्त शिक्षण संस्थानों पर क्रमशः लगभग 5 करोड़ एवं 4.5 करोड़ तिरंगा फहराते हुए कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इस संबंध में सभी से यह भी अनुरोध किया गया था कि 15 अगस्त, 2023 के उपरान्त इन झण्डों को आजादी का अमृत महोत्सव के स्मृति चिन्ह के रूप में सुरक्षित रखा जायेगा। इस तरह से प्रत्येक घर में सुरक्षित इन झंडों को इस वर्ष पुनः दिनांक 13-15 अगस्त, 2024 के मध्य संचालित हर घर तिरंगा अभियान में उपयोग में लाने के लिए प्रेरित किया जाए। झण्डों को पुनः उपयोग में लाने हेतु झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए 'हर घर तिरंगा' की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

2- कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है। इसी के दृष्टिगत पुनः दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य सम्पूर्ण देश में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में **"हर घर तिरंगा"** कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जानी हैः-

(1) विगत वर्ष की भांति 'हर घर तिरंगा' अभियान हेतु झण्डों की अतिरिक्त आवश्यकता की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा दो करोड़ झण्डों का उत्पादन करके की जायेगी, जिसका भुगतान पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा एवं शहरी क्षेत्रों में झण्डों की आपूर्ति हेतु 50 लाख झण्डों का उत्पादन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से किया जायेगा, जिसका भुगतान नगर विकास विभाग द्वारा किया जायेगा।

(2) समस्त जनपदों में जिलाधिकारियों द्वारा झण्डा उत्पादन इकाईयों- जैसे एन0जी0ओ0, लघु उद्योगों, खादी एवं ग्रामोद्योग, निजी सिलाई केन्द्र एवं अन्य उत्पादनकर्ताओं को सक्रिय करते हुए झण्डों का उत्पादन किया जाए।

(3) राज्य हथकरघा निगम के पास उपलब्ध झण्डों की आपूर्ति नगर विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में की जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) जेम पोर्टल/ऑन लाइन शापिंग पोर्टल पर उपलब्ध झण्डों के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए आमजनमानस को प्रेरित किया जाए। राशन की दुकानों/पेट्रोल पम्पों/घरेलू गैस विक्रय केन्द्रों/ग्राम पंचायत भवनों/ तहसील/विकास खण्ड कार्यालयों/ऑगनबाड़ी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों आदि में झण्डों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

(5) दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक आमजनमानस को अपने-अपने घरों, कार्यालयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों/ औद्योगिक प्रतिष्ठानों/शैक्षणिक प्रतिष्ठानों/ऑगनबाड़ी केन्द्रों/अस्पतालों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में एफ0एम0/रेडियो चैनल/स्थानीय केबिल नेटवर्क/प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया/ टोल प्लाजा/बस स्टेशनों/मेट्रो स्टेशनों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर झण्डा फहराने हेतु प्रेरित किया जाए।

(6) समस्त सरकारी कार्यालय/शिक्षण संस्थान खादी से निर्मित ध्वज का ही आरोहण करेंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा खादी से निर्मित ध्वजों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

(7) समस्त विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय समितियों के साथ बैठक कर तिरंगा अपने प्रतिष्ठानों में सी0एस0आर0 संसाधनों के माध्यम से क्रय कर फहराये जाए।

(8) मा0 जनप्रतिनिधिगण के साथ भी पृथक से बैठक कर उन्हें कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दे दी जाये।

(9) गृह विभाग सुनिश्चित करे कि पुलिस विभाग के पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्रियाशील रहे। दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य झण्डा गीत, राष्ट्रीय गीतों के साथ ही साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में सूचनाओं का प्रसारण होता रहे। दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य गृह विभाग द्वारा शहीद स्मारकों पर राष्ट्रधुन के साथ पुलिस/पी0ए0सी0 बैण्ड का वादन किया जाए।

(10) दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक समस्त सरकारी भवनों पर तिरंगा लाइटिंग करायी जाए।

(11) नगर विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े समस्त स्थलों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए एवं साइनेज भी लगवाये जाए।

(12) समस्त शिक्षण संस्थाओं में हर घर तिरंगा से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उक्त आयोजन के संबंध में शासन से निर्गत आदेशों का प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(13) सेल्फी/रील्स/वीडियो/झण्डे के साथ फोटो अथवा देशभक्ति/झण्डागीत के साथ वीडियो अभियान से जुड़ी वेबसाइट harghartiranga.com पर अपलोड करने हेतु आमजनमानस को प्रेरित किया जाए।

3- <u>योजना का कार्यान्वयन-</u>

(1) हर घर तिरंगा कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा झण्डा संहिता में वर्ष 2021 में संशोधन किया गया है। **(संलग्नक-1)**

(2) हर घर तिरंगा कार्यक्रम हेतु नागरिकों को झण्डा फहराने की विधि तथा अन्य जानकारियों से स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाए। **(संलग्नक-2)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) हर घर तिरंगा कार्यक्रम के प्रभावी समन्वय हेतु जनपदों द्वारा की गयी कार्यवाही की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट https://culturalevents.in पर उपलब्ध गूगल लिंक के माध्यम से अपलोड किया जाए।

4- **'हर घर तिरंगा'** अभियान के कार्यान्वयन हेतु समस्त जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:-

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
पुलिस आयुक्त द्वारा नामित पुलिस उपायुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक	उपाध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/नगर पालिका/नगर पंचायत	सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, छावनी परिषद	सदस्य
मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
जिला विकास अधिकारी	सदस्य
जिला प्रोबेशन अधिकारी	सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
उप निदेशक/जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
उपनिदेशक पर्यटन/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/पर्यटक अधिकारी	सदस्य
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
कार्यक्रम अधिकारी(एकीकृत बाल विकास योजना)	सदस्य
जिला युवा कल्याण अधिकारी	सदस्य
परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य
प्राचार्य, आई0टी0आई0	सदस्य
जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी	सदस्य
महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
जिला समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र	सदस्य
समन्वयक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन -	सदस्य
समन्वयक, नागरिक सुरक्षा संगठन	सदस्य
एन0सी0सी0 के अधिकारी/एन0एस0एस0 के समन्वयक	सदस्य
जिलाधिकारी द्वारा नामित उद्योग मण्डलों/व्यापार मण्डलों के प्रतिनिधिगण	सदस्य
जिला पंचायतीराज अधिकारी	सदस्य सचिव

उपरोक्तानुसार गठित समिति के सदस्यों की सूची दृष्टान्त के रूप में है। जिलाधिकारी अपनी सुविधानुसार इसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। विकास खण्ड स्तर पर भी इसी प्रकार से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.In से सत्यापित की जा सकती है।

समितियों का गठन करा लिया जाए जिसमें एक जिला स्तरीय एक अधिकारी को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी जाये।

अतएव उपरोक्त निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद में व्यापक जनसहभागिता से **'हर घर तिरंगा'** कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव।

संख्या- 278 /2024/ 2162(1) /चार-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव

https://shasanadesh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संलग्नक–1

File No. 02/01/2020-Public (Part-III)
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Public Section)
******

North Block, New Delhi
Dated 30th December, 2021

ORDER

Subject: Amendment in the Flag Code of India, 2002- Reg.

The use/display/hoisting of the Indian National Flag is governed by the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and the Flag Code of India, 2002, which are available on this Ministry's website www.mha.gov.in. With the approval of the Competent Authority, paragraph 1.2 of Part-I of the Flag Code of India, 2002 has been amended and it shall be read as under :-

"1.2 The National Flag of India shall be made of hand spun and hand woven or machine made, cotton/polyester/wool/silk khadi bunting".

(Vijay Kumar)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele No. 2309 3101

To

The Chief Secretaries/Administrators of
All State Governments/UT Administrations,
Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India.

Copy to:

1. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Vice – President's Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Office of all Governors.
6. Election Commission of India, New Delhi.
7. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
8. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
9. Registrar, Supreme Court of India, New Delhi.
10. Registrar, all High Courts.
11. Office of Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
12. The Union Public Service Commission, New Delhi.
13. Central Vigilance Commission, New Delhi.
14. NITI Aayog, Yojana Bhawan, New Delhi.
15. All attached & Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs.
16. 5 Spare Copies.

(Vijay Kumar)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele No. 2309 3101

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संलग्नक-2

झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश

1- झण्डे का आकार आयताकार होना चाहिए।

2- इसकी लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि झण्डे की लम्बाई 3 फीट हो तो चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए।

3- झण्डा बनाने की सामग्री खादी अथवा हाथ से कता हुआ कपड़ा/मशीन से बना हुआ कपड़ा/सूती/पॉलीस्टर/ऊनी/सिल्क आदि हो सकती है।

4- झण्डे तीन रंगों में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे हरे रंग का प्रयोग कर बनाये जायेंगे।

5- सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को बाद में प्रिन्ट किया जाना चाहिए।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

झण्डा फहराने के नियम

1- प्रत्येक नागरिक को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/लगाना है।

2- झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए।

3- झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिये तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए।

4- दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा।

5- झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जायेगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए।

6- विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है।

7- हर घर पर झण्डा विधिवत् तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

'काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव'

(09 अगस्त - 1925 से 09 अगस्त, 2025)

<u>कार्यक्रम स्थलों पर पढ़ने हेतु आलेख</u>

भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन से सम्बन्धित अनेक ऐतिहासिक घटनाओं में काकोरी की घटना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 04 फरवरी, 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में घटित चौरी-चौरा घटना के बाद गाँधीजी द्वारा 11 फरवरी, 1922 को बारदोली (गुजरात) में असहयोग आन्दोलन को स्थगित करने की घोषणा की गयी। इस निर्णय ने क्रान्तिकारी आन्दोलन को पुनः जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के दीवाने क्रान्तिकारी नवयुवक भारतमाता को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए कटिबद्ध थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शहीद चन्द्रशेखर आजाद, शहीद पं0 रामप्रसाद बिस्मिल, शहीद ठाकुर रोशन सिंह, शहीद अश्फाक़ उल्ला खाँ, शहीद राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी, आदि क्रान्तिकारी युवकों ने एक अखिल भारतीय सम्मेलन के बाद अक्टूबर, 1924 में हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रान्ति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। इस संघर्ष को प्रारम्भ करने से पूर्व यह आवश्यक था कि व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये, नौजवानों को अपने दल में सम्मिलित कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाये एवं हथियारों को एकत्र किया जाये। इसके लिए धन की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इन क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजी सरकार के खजाने पर कब्जा करने का निश्चय किया। निरंकुश ब्रिटिश सत्ता को चेतावनी देने एवं धन एकत्र करने के निमित्त पहली बड़ी कार्यवाही काकोरी में की गयी। सरकारी खजाना हासिल करने की यह घटना काकोरी-घटना के नाम से प्रसिद्ध है। 09 अगस्त, 1925 को शाहजहाँपुर से लखनऊ आ रही 8-डाउन ट्रेन को काकोरी के निकट रोक कर अंग्रेजी सरकार के रू0 4679-1-6 राशि के खजाने पर क्रांतिकारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। प्रतिक्रियास्वरूप ब्रिटिश सरकार ने व्यापक स्तर पर गिरफ्तारियाँ की तथा प्रारम्भिक जाँच के उपरान्त क्रान्तिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। इन पर ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध युद्ध की घोषणा करने, राजनैतिक षडयन्त्र रचने, डकैती और हत्या आदि के आरोप लगाये गये। अंग्रेजी सरकार काकोरी के क्रांतिकारियों से इतना खौफ खा चुकी थी कि उसने क्रांतिकारियों को प्रदेश के अलग-अलग जेलों में यथा- शहीद राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी को जिला जेल गोण्डा, शहीद रोशन सिंह को जिला जेल प्रयागराज, शहीद अश्फाक उल्ला खां को जिला जेल अयोध्या एवं शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को जिला जेल गोरखपुर में रखा गया।

क्रमशः 2

जेल में क्रान्तिकारियों ने खराब खाना मिलने एवं राजनैतिक बन्दी की श्रेणी प्रदान किये जाने को लेकर 16 दिन का अनशन किया। बाध्य होकर ब्रिटिश सरकार ने इनकी अनेक माँगों को स्वीकार कर लिया। इन क्रान्तिकारियों पर सेशन जज हैमिल्टन की अदालत में मुकदमा चलाया गया। इनकी पैरवी के लिए एक समिति भी बनायी गयी थी। सेशन जज हैमिल्टन ने 6 अप्रैल,1927 को पं0 राम प्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह को फाँसी, शचीन्द्र नाथ सान्याल को आजीवन कालापानी, मन्मथनाथ गुप्त को 14 वर्ष, जोगेश चन्द्र चटर्जी, मुकुन्दी लाल, गोविन्द चरण, राजकुमार सिन्हा, रामकृष्ण खत्री को 10 वर्ष, विष्णु शरद दुबलिश, सुरेश चन्द्र भट्टाचार्य को 7 वर्ष, भुपेन्द्र नाथ सान्याल, रामदुलारे त्रिवेदी, प्रेम कृष्ण खन्ना, बनवारी लाल, प्रणवेश कुमार चटर्जी और रामनाथ पाण्डे को 5 वर्ष कैद की सजा सुनायी। पूरक मुकद्दमें में अशफाक़ उल्ला खाँ को फांसी एवं शचीन्द्रनाथ बख्शी को आजीवन कारावास की सजा हुयी। चन्द्रशेखर आजाद को ब्रिटिश सरकार जीवित गिरफ्तार नहीं कर सकी। 27 फरवरी,1931 को आजाद पार्क, प्रयागराज (अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद) में ब्रिटिश पुलिस के साथ सशस्त्र संघर्ष में चन्द्रशेखर आजाद को वीरगति प्राप्त हुयी।

सेशन जज हैमिल्टन के फैसले के विरूद्ध की गयी अपील में अवध चीफ कोर्ट ने कुछ क्रान्तिकारियों की सजा में वृद्धि कर दी। रामनाथ पाण्डे तथा प्रणवेश चटर्जी की सजा कम की गयी। शेष क्रान्तिकारियों की सजा यथावत रहीं।

पूर्व में यह घटना काकोरी काण्ड के नाम से इतिहास में दर्ज थी। 'आजादी का अमृत महोत्सव' आयोजन के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा इसे 'काकोरी ट्रेन एक्शन' के नाम से सम्बोधित किया गया। वर्तमान में इसे 'काकोरी ट्रेन एक्शन' के नाम से जाना जाता है। 09 अगस्त, 2024 से काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ की शुरूआत हो रही है। अतः इसे सम्पूर्ण प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों के साथ मनाया जाना प्रस्तावित है।

आइये देश के शहीदों को नमन करते हुए इस अवसर पर देश प्रति प्राण न्यौछावर करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें।

जनपद का नाम : दिनांक :	
	संख्या
कुल तिरंगा यात्राएं आयोजित	
कुल तिरंगा रैलियां की गईं: साइकिल/कार/बाइक	
कुल तिरंगा मेले आयोजित	
कुल तिरंगा संगीत कार्यक्रम किए गए	
तिरंगा प्रतिज्ञा, तिरंगा सेल्फी अपलोड के साथ कुल कार्यक्रम	
कुल तिरंगा कैनवस पर हस्ताक्षर	